भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ: आईआरडीएआई/एसयूआर/ओआरडी/एमआईएससी/197/11/2019 1 नवंबर, 2019
Ref: IRDAI/SUR/ORD/MISC/ 197/11/2019 November 1, 2019

आदेश
ORDER

विषय: बीमा अधिनियम, 1938 के धारा 64यूएम के उप-धारा(10) के अन्तर्गत दावों की श्रेणियों को छूट

Re: Exemption of classes of claims under sub-section (10) of Section 64UM of the Insurance Act, 1938

जबकि, इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित दावों की श्रेणियों के संबंध में, प्राधिकरण सन्तुष्ट है कि सर्वेक्षण का कार्य, या हानि आंकलन का कार्य लाइसेंस प्राप्त सर्वेक्षणकर्ता या हानि आंकलनकर्ता के अलावा किसी व्यक्ति को सौंपना प्रथागत है या कोई सर्वे या हानि आंकलन करना व्यावहारिक नहीं है।

इसलिए, अब बीमा अधिनियम, 1938, (1938 का 4) के धारा 64यूएम के उप-धारा(10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतदद्वारा उक्त धारा के परिचालन से उक्त अनुसूची में उल्लिखित दावों की श्रेणियों को छूट प्रदान करता है।

यह आदेश, इस संबंध में इससे पूर्व जारी सभी आदेशों का अधिक्रमण करता है।

Whereas, in relation to the classes of claims mentioned in the Schedule hereto annexed, the Authority is satisfied that it is customary to entrust the work of survey or loss assessment to any person other than a licensed surveyor or loss assessor, or it is not practicable to make any survey or loss assessment.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (10) of Section 64UM of the Insurance Act, 1938, (4 of 1938) the Authority hereby exempts the classes of claims mentioned in the said Schedule from the operation of the said section.

This Order will supersede all other Orders issued earlier in this regard.

अनुसूची SCHEDULE

1. उन पालिसियों के अन्तर्गत दावे, जिनके संबंध में मूल्य की हानि के संबंध में दस्तावेज़ी प्रमाण पुलिस रिपोर्टों, पोर्ट ट्रस्टों, रेलवे या अन्य सार्वजनिक या अर्धसरकारी प्राधिकारियों द्वारा जारी अल्प-लैण्डिंग या गैर-सुपुर्दगी प्रमाण-पत्रों के रूप में उपलब्ध हैं, दावे, जिनके संबंध में उत्पादन-शुल्क प्राधिकारी शुल्कदेय मदों के लिए एक प्रमाण-पत्र देते है और बंदरगाह प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित गोफन (स्लिंग) हानि दावे।
2. समुद्री बीमा पालिसियों के अंतर्गत सामान्य औसत के दावे।

3. समुद्री बीमा अधिनियम, 1963(1963 के 11) के धारा 29 में यथा परिभाषित सहमत मूल्य बीमा पालिसियों या बहुमूल्य पालिसियों के अन्तर्गत कुल हानि या रचनात्मक कुल हानि के दावे।
4. मोटर वाहन बीमा पालिसियों के अन्तर्गत दावे, जिनमें दावा चोरी या तृतीय पक्ष को चोट या उसकी मृत्यु के कारण हैं।
5. यात्रा और व्यक्तिगत दुर्घटना कवरों सहित स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के अन्तर्गत दावे;
6. कर्मचारी क्षतिपूर्ति (संशोधन) अधिनियम, 2009 या समरूप अधिनियम के अन्तर्गत कामगार की क्षतिपूर्ति/लाभ पालिसियों के अन्तर्गत दावे।
7. जहाँ संपत्ति को क्षति या भौतिक संपत्ति/माल को दोष से होने वाली देयताएँ शामिल हैं, को छोड़कर तृतीय पक्ष देयता, व्यावसायिक क्षतिपूर्ति, उत्पाद देयता और व्यक्तिगत देयता सहित सार्वजनिक देयता पालिसियों के अंतर्गत दावे।
8. विमानन पोत बीमा पालिसियों और साइबर बीमा पालिसियों के अंतर्गत दावे।
9. मार्गस्थ नकदी पालिसियों सहित मुद्रा बीमा के अंतर्गत दावे।
10. व्यक्तिगत मालमत्ता (चल-संपत्ति) और आभूषणों संबंधी सभी जोखिमों और सेंधमारी बीमा पालिसियों के अंतर्गत दावे।
11. रेस के घोड़ों की बीमा पालिसियों और पशुधन की बीमा पालिसियों के अन्तर्गत दावे।
12.फसल, पेड़ों, बागानों और वनों, जो सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं द्वारा आवृत्त हैं, को हानि या क्षति के संबंध में दावे।
13. भारत में बागानों से मार्गस्थ चाय को हानि या क्षति के संबंध में दावे।
14. निष्ठा-गारंटियों, बैंकरों की आवृत्त (ब्लैंकेट) पालिसियों, साख बीमा सहित बाण्डों और गारंटियों की प्रकृति की पालिसियों के अंतर्गत और संविदात्मक देयताओं का बीमा करने वाली पालिसियों के अंतर्गत दावे।
15. दावे, जिनके संबंध में दावे की राशि मान्यता प्राप्त और सुव्यवस्थित परंपराओं या समझौतों के अंतर्गत निर्धारित की जाती है।
16. दावे, जिनकी राशि का निर्णय अदालतों ने किया या फैसला अदालतों ने सुनाया है।

1. Claims under policies in respect of which documentary evidence of the value of loss is available in the form of Police Reports, short-landing or non-delivery certificates issued by Port Trusts, Railways or other public or semi-Government authorities, claims in respect of which excise authorities give a certificate for dutiable items and sling loss claims certified by Harbour Authorities.

2. Claims of General Average under marine policies.

3. Claims of total loss or constructive total loss under agreed value insurance policies or valued policies as defined in Section 29 of the Marine Insurance Act, 1963 (11 of 1963).

4. Claims under policies of motor vehicle insurance wherein the claim is on account of theft or injury/death to third parties.

5. Claims under Health Insurance Policies including travel and personal accident covers;

6. Claims under Workmen's Compensation/ Benefit policies under the Employees Compensation (Amendment) Act, 2009 or similar Act.

7. Claims under public liability policies, including third party liability, Professional indemnity, products liability and personal liability except where liability arising out of property damage or defect to physical property/goods are involved.

8. Claims under Aviation Hull insurance policies and Cyber insurance policies.

9. Claims under Money insurance including cash in transit policies.

10. Claims under All risks and Burglary insurance policies on personal effects and jewelry.

11. Claims under Race Horses insurance policies and Live-stock insurance policies.

12. Claims in respect of loss or damage to crop, trees, plantations and forests which are covered by Government sponsored Schemes.

13. Claims in respect of loss or damage to tea in transit from gardens in India.

14. Claims under policies of the nature of Bonds and Guarantees including fidelity guarantees, Bankers' Blanket policies, credit insurance, and under policies insuring contractual liability.

15. Claims in respect of which the amount of claim is determined by recognized and well-established conventions or under agreements.

16. Claims, the amount of which has been adjudicated upon or decreed by courts.

(सुजय बनर्जी / Sujay Banarji)
सदस्य / Member